प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 06 सितम्बर 2017**

विषय:- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-प्रसार/776/तकीनकी प्रबन्धन योजना/2017-18/दिनांक 11.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु रू0-1511.58 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ ग्यारह लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	मानक मद	प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
1	02-मजदूरी	60.80	35.47
2	04-यात्रा व्यय	20.60	12.02
3	08-कार्यालय व्यय	17.45	10.18
4	09-विद्युत	4.00	2.33
5	11-लेखन सामग्री	14.00	8.17
6	13-टेलीफोन पर व्यय	70.00	40.83
7	15-मोटर गाड़ी अनुरक्षण	88.35	51.54
8	29-अनुरक्षण	20.00	11.67
9	42-अन्य व्यय	2291.06	1336.45
10	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	2.92
	योग	**2591.26**	**1511.58**

(रू0 पन्द्रह करोड़ ग्यारह लाख अट्ठावन हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा। तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में नियोजन विभाग का अनुमोदन प्राप्त होगा। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा ,जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। योजना का मिड टर्म वैल्यूएशन किसी थर्ड पार्टी से कराया जायेगा। योजना में अपेक्षित कम्प्यूटर/हार्डवेयर की पूर्ति हेतु विभाग में अन्य योजनाओं के माध्यम से पूर्व से उपलब्ध संसाधनों के लिए उक्त योजनाओं से डबटेलिंग कर व्यय को यथासंभव नियंत्रित एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में ओवरलैपिंग नहीं होगी।

4- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी धनराशि बैंक खातों में नही रखी जायेगी, यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो, उसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

9- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

10- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-07-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन की योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017- 231/2017, दिनांक 02.01.2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

सं0-70/2017/ 897(1)/12-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो)/सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
7- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- शासनादेश की वेबसाइट **http://shasanadesh.up.nic.in** पर अपलोड करने हेतु।
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(**डा0 राम चन्द्र शुक्ल**)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in